



राजस्थान सरकार

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाली**  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट बाली)

GCMS NO. 2024/242

-:आदेश:-

दिनांक 27-9-24

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का सेवाडी तथा तहसीलदार बाली की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसारण में ग्राम सेवाडी तहसील बाली जिला पाली की जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 में खाता संख्या 1032 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश(शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	सेवाडी	1032	सकुबाई पत्नी चुना	चम्पादेवी उर्फ सकुबाई पत्नी चुन्नीलाल



कमांक/कोर्ट/2024/2033-35

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बाली को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. पटवारी हल्का सेवाडी को पालनार्थ।
3. प्रार्थी श्रीमती चम्पादेवी पत्नी चुन्नीलाल जाति मैणा तह. बाली को सूचनार्थ।

3  
पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत  
सहायक कलक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी बाली  
उपखण्ड अधिकारी बाली  
पदेन सहा. कलक्टर, बाली  
दिनांक 27-9-2024

3  
पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत  
सहायक कलक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी बाली  
उपखण्ड अधिकारी बाली  
पदेन सहा. कलक्टर, बाली